INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उपकोषाधिकारी 23 JUL 2002 उपकोषागार, चन्दौली

मैं आशीष विद्यार्थी पुत्र स्व० सत्यप्रकाश विद्यार्थी निवा

ग्राम व पोस्ट शहीदगांव तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली का हूँ

मेरे मन में बहुत दिनों से यह भावना उठ रही थी कि अपने

के इच्छानुसार ऐसे न्यास {ट्रस्ट} की स्थापना करूं जिससे समाज के लो

को शैक्षिक ,मानसिक,बौद्धिक,धार्मिक ,अध्यात्मिक,शारीरिक एवं :

Ashish

शिवराज सिंह
पुत्र स्व० विजयबहादुरसिंह
नि० दुर्गापुर
पो० चन्दौली
जि० चन्दौली

दिनेश कुमार
पु० श्री गंगा सि
ग्राम- सदलपुरा
पो०- धरौं
तह०- सकलडीहा

Scanned with C

1589 30/7/02 1500/-

आशीष विद्यार्थी ड० शहीदगांव चंदौली

ट्रस्टडीड 11008/-

सत्य प्रकाश उपाध्याय विक्रेता
कचहरी चन्दौली

निबन्धन शुल्क	प्रतिलिपि	योग	शब्द संख्या
2200/-	30/-	2250/-	1500

श्री/श्रीमती आशीष विद्यार्थी पुत्र/पुत्री स्व० सत्यप्रकाश विद्यार्थी
व्यवसाय निवासी शहीदगांव पर० धरहरा
स्थायी ने कार्यालय उप निबन्धक सकलडीहा जिला चन्दौली में
आज दिनांक 30/7/02 समय 4:25 बजे दिन के मध्य निबन्धन हेतु
प्रस्तुत किया।

Swaini

30/7/02
उप निबंधक

उक्त लिखत पत्र के लेखन व सम्पादन तथा मजमून सुनी व समझ कर
तथा प्रतिफल नकद मेरे समक्ष प्राप्त कर श्री/श्रीमति
आशीष कुमार विद्यार्थी पु० उक्त स्वीकार किया।

उपरोक्त मुकिर/मुकरान तथा संलग्न उनका फोटो की पहचान
श्री शिवराज सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह पेशा दुर्गापुर
पो० चहनिया पर बारागांव तथा श्री रणधीर सिंह एड०
निवासी चन्दौली जिला वाराणसी
ने की जिनके संलग्न फोटो लगी।

Swaini शिवराजसिंह

उप नि०
सकलडीहा 30/7/02
रणधीर सिंह एडवोकेट

उपरोक्त साक्षियों के चिन्ह अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं जो
स्पष्ट प्रतीत होते हैं।

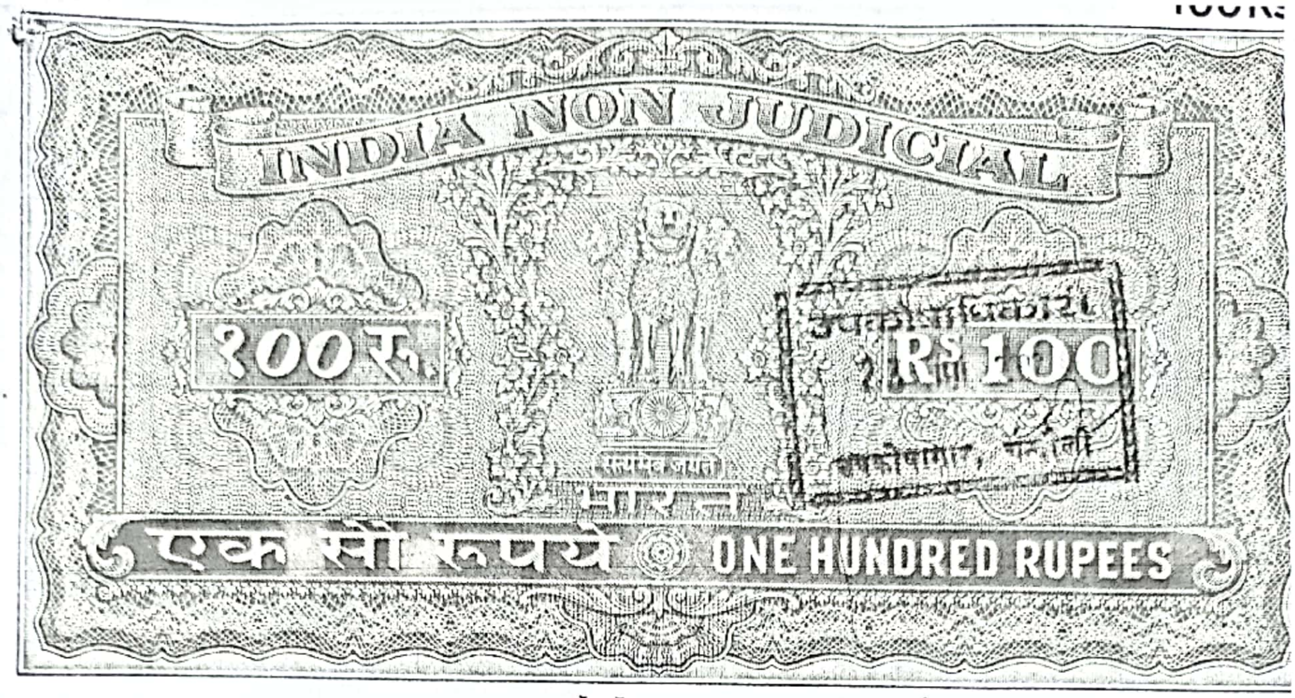

उत्थान हो सके और असहाय,अपाहिज0दीन-दु:खी तथा निर्धन लोगों का भला व कल्याण हो सके इस समय मेरे पास ग्यारह हजार रूपया मौजूद है जिसे मैने इस न्यास को अर्पित कर दिया है और यह धन न्यास की सम्पत्ति हो गयी है यह धन मिनमुकिर ने न्यास के नाम काशी ग्रामीण बैंक शाखा आवाजापुर चन्दौली में खाता खोल कर जमा कर देगा ।

इस न्यास का पूर्ण नाम "सृजन" स्व0श्री सत्यप्रकाश विद्यार्थी मेमोरियल ट्रस्ट होगा और इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा किन्तु मुख्य कार्यालय ग्राम व पो0 शहीदगांव जनपद चन्दौली में ही रहेगा ।

इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :-

1:- देश के विभिन्न राज्यों में अथवा सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के पूर्व प्राथमिक ,प्राथमिक,माध्यमिक,स्नातक,स्नातकोत्तर,सी0बी0एस0सी0 विद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना ,शिक्षा प्रदान करना,रोजगार परक शिक्षण संस्था व संस्थाओं की स्थापना करना ,प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह व सम्पादन कराना,पुरातत्व अनुवाद एवं भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशन कराना,उत्कृष्ट पुस्तक लेखकों,विद्वानों एवंकलाकारों को सम्मानित एवं

1590

1584

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पुरस्कृत करना मेधावी व गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उनके लिये छात्रावासों का निर्माण करना ,तथा पुस्तकालय ,वाचनालय व्यायामशाला ,धर्मशाला ,अनाथालय,वृद्धाश्रम आदि समाजोपयोगी संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

2:- निःशुल्क चिकित्सालयों एवं निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सा शिक्षाआदि की स्थापना करना एवं उनके संचालन की व्यवस्था करना ,दैवीय आपदाओं के समय जनता एवं सरकार की मदद करना ,समाजोपयोगी संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ,संस्था के माध्यम से सामाजिक बौद्धिक ,धार्मिक,सांस्कृतिक ,आर्थिक,अध्यात्मिक,मानसिक,एवं शारीरिक विकास हेतु गोष्ठियां आयोजित करना तथा कृषि के क्षेत्र में प्रचार व प्रसार करना एवं अनुसंधान कराना तथा सम्बन्धित साहित्य और पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का सम्पादन व प्रकाशन कराना । संस्था के माध्यम से पर्यावरण पर गोष्ठी का आयोजन करके जनपयोग एवं सर्वहिताय कार्य करना ।संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं हित में सभी प्रकार के दान उपहार व अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना । संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वांछित आवश्य व उपयुक्त तथा स्थायी सम्पत्ति या वयक्तिक और कोई स्वत्व या अधिकार

३व/अ०२ 110/

1591
1589

[illegible] त्रिवेदी

[illegible]

[illegible]

Scanned with C

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

क्रय हेतु विनिमय याहस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करना । समाज के चतुर्मुज विकास हेतु संस्था के माध्यम से समाजोपयोगी कार्य करना । उपरोक्त कार्यो के लिये जो भी कार्य करना होगा उसके लिये आवश्यकतानुसार उपसमिति गठित होगी । उपसमिति को नियुक्त करने व भंग करने या पदमुक्त करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा ।

इस न्यास के प्रधान न्यासी मिनमुकिर है और अपने सहायता एवं न्यास के कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिये मिनमुकिर बैहसियत प्रधान न्यासी निम्नलिखित तीन अन्य न्यासी नियुक्त करता है :-

§1§ श्रीमती कंचन विधार्थी पत्नी आशीष विधार्थी निवासिनी ग्राम व पो० शहीदगांव जिला चन्दौली ।

§2§ श्रीमती प्रभा विधार्थी पत्नी स्व० सत्यप्रकाश विधार्थी निवासिनी ग्राम व पो० शहीदगांव जिला चन्दौली ।

§3§ डा० आनन्द विधार्थी पुत्र स्व० सत्यप्रकाश विधार्थी निवासी ग्राम व पो० शहीदगांव जिला चन्दौली ।

30/11/02

1592
———
1589

सत्य प्रका[illegible] [illegible] सिंह [illegible]

पन्डोला [illegible] पन्डोला

Scanned with C

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(5)

इस न्यास के प्रधान न्यासी मिनमुकिर आशीष विधार्थी पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश विधार्थी निवासी ग्राम व पो0 शहीदगांव तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली रहेगें ।

प्रधान न्यासी की मृत्यु होने पर उसका सबसे बडा पुत्र या बडी पुत्री प्रधान न्यासी होगा,प्रधान न्यासी को यह भी अधिकारहोगा कि उसके जीवन काल में ही वह जिसे उपर्युक्त उचित एवं योग्य ,अच्छा समझे प्रधान न्यासी नियुक्त कर दे । जो उसके (मिनमुकिर) मृत्यु के बाद प्रधान न्यासी हो जायेगा एवं अन्य न्यासियों के मृत्यु होने पर प्रधान न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह उसके स्थान पर किसी भी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त कर दे । लेकिन प्रधान न्यासी उस रिक्त स्थान पर कोई न्यासी नियुक्त नही करता है तो मृतक न्यासी की पत्नी और उसके बाद उनके बडे पुत्र न्यासी होगें। प्रधान न्यासी को न्यास के हित में किसी न्यासी कोपदच्यूत करने पदमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और ऐसे रिक्ति को प्रधान न्यासी किसी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त कर रिक्त पूर्ति करेगा ।

उक्तट्रस्ट का विवाद कभी उत्पन्न हो तो उस पर अन्तिम निर्णय प्रधान न्यासी का होगा ,और किसी न्यासी कोविवाद को न्यायालय में ले जाने का अधिकार नही होगा और यदि कोई न्यासी न्यास के विरूद्ध या न्यास के बाबत कोई विवाद न्यायालय में ले जायेगा तो उस न्यासी की सदस्यता (न्यासपद)

2172०२ १०/-

1393
1389

सत्य ... स्टाम्प विक्रेता
पन्थोली कचहरी पन्थोला

स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

न्यास को प्रधान न्यासी मिनमुकिर आशीष विद्यार्थी पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश विद्यार्थी निवासी ग्राम व पो0 शहीदगांव तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली ने रूपया ग्यारह हजार नकद दे दिया है-अर्पित कर दिया है जो न्यास की सम्पत्ति है इस धन व भविष्य में प्राप्त होने वाले धन को प्रधान न्यासी द्वारा राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक में जमा किया जायेगा ।बैंक का खाता न्यास के नाम होगा । बैंक खाते का संचालन प्रधान न्यासी करेगा या उसके द्वारा नियुक्त किसी एक या दो न्यासी द्वारा किया जायेगा ।

न्यास को चल व अचल सम्पत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होगा तथा न्यास की सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा

इस न्यास का मुख्यालय ग्राम व पो0 शहीदगांव तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली में रहेगा और आवश्यकतानुसार देश के अन्य भाग में या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में प्रधान न्यासी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेगें । इस न्यास को सुचारू रूप से चलाने तथा समाज की हर प्रकार से समुचित सेवा कार्य को सम्पन्न करने हेतु वेतन भोगी कर्मचारी व अवैतनिक कार्यकर्ता भी रखे जायेगें । न्यास के सम्पूर्ण हिसाब किताब का व्यौरा लिखित रहेगा और जो भी दान,चन्दा,अनुदान सहायता न्यास के लिये प्राप्त होगी वह न्यास के नाम या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम रहेगा ।

[illegible]

3097/02 1001

1594
1584

सत्य [signature] स्टाम्प विक्रेता
पन्चोला। ...पन्चोला

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

प्रधान न्यासी को यह अधिकार होगा कि न्यास मण्डल की संख्या चार से सात तक कर सकते है न्यास की बैठक की कार्य-वाही निर्णय आदि करने हेतु न्यासियों में से हर दिशा में कम से कम एक तिहाई न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। लेकिन कोरम पूरा न होने के स्थिति में भी प्रधान न्यासी को निर्णय लेने व उसका क्रियान्वयन करने का अधिकार होगा । न्यास मण्डल की किसी भी बैठक में यदि प्रधान न्यासी उपस्थित नही रहता है तो वह बैठक स्थगित कर दी जायेगी । अर्थात न्यास मण्डल की बैठक के लिए प्रधान न्यासी की उपस्थिति आवश्यक है। प्रधान न्यासी को न्यास के कार्य एवं स्थिति को सुदृढ बनाने हेतु क्रय- विक्रय , व्यक्तिगत एवं राजकीय अनुदान एवं सहायता द्वारा चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा जिसका उद्देश्य इस न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च किया जायेगा ।

यदि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हुआ त प्रधान न्यासी न्यास को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक नियमावली बन सकेगा और इस न्यास द्वारा जो संस्थाये चलाई जायेगी उसके लिए भी प्रधा

Scanned with C

100
30-7-2002

10 आशीष विद्यार्थी पुत्र स्व० सत्य प्रकाश विद्यार्थी ग्राम-मनोहरपुर डा० मुगलसराय जिला-चन्दौली

चन्दन कुमार सिंह

चंदन कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता
सकलडीहा-चन्दौली

Scanned with C

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

न्यासी अलग से नियमावली एवं प्रबन्ध समिति बनाने का अधिकार होगा और उसके सभी क्रिया कलाप इस न्यास के द्वारा ही प्रधान न्यासी के नियंत्रण में रहेगा।

इस न्यास के न्यासियों ने न्यासी होने की अपनी स्वीकृत प्रदान कर दिया है और इस विलेख के पंजीकरण के साथ ही वे न्यासी हो जायेंगे।

अतः मैंने यह न्यास "सृजन" स्व0 श्री सत्यप्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट शहीदगांव चन्दौली" तथा यह न्यास अभिलेख सहर्ष अपने स्वेच्छयानुसार पूर्ण चेतनावस्था में बिना किसी जोर दबाव जायज, नाजायज के तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

नोट:- पृष्ठ 6 के सतर 19 पूरा कटा है जो सही है।

तहरीर तारीख - 30-7-02

मसविदाकर्ता - रणधीर सिंह एड0

टाइपकर्ता - आत्माराम उपाध्याय

11

1001
30-7-2002

चंदन कुमार सिंह
चंदन कुमार सिंह
[illegible]
स[illegible] [illegible]न्दौली

आज दिनांक 30.7.2002 को पुस्तो स्टेट प्रोष
पुस्तक संख्या IV खण्ड 2 पृष्ठ 269/284
के लेखपत्र संख्या 11 पर रजिस्ट्री करण
किया गया तथा म० सा० व० खण्ड ....
के पृष्ठ पर ...... पर चस्पा है।

उप निबन्धक
सकलडीहा

Scanned with C

IV 33/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 51276

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

ARMED FORCES FLAG DAY

ट्रस्ट डीड - पूरक

मैं कि आशीष विद्यार्थी पुत्र स्व० सत्यप्रकाश विद्यार्थी निवासी ग्राम व पोस्ट- शहाबगंज तहसील - सकलडीहा जिला- चन्दौली का हूँ ।

विदित हो कि मैने एक किता ट्रस्ट डीड दिनांक 30-7-2002 ई० को पंजीकृत को पंजीकृत ट्रस्ट डीड जो पुस्तक सं० 4 खण्ड 2 पृष्ठ 269/284 के लेखपत्र सं० 11 पर उप निबन्धक कार्यालय सकलडीहा में अंकित है जिसमें मै मु' प्रधान न्यासी हूँ ।

उक्त पंजीकृत ट्रस्ट डीड में सम्बन्धित विद्यालय के संचालन से सम्बन्धित कुछ तथ्य त्रुटिवश अंकित करने मे छूट गया है , जहाँ रनिंग स्कूल के बाद निम्न पैरा जोड़कर पढ़ा जाय ।

आशीष विद्यार्थी

Scanned with C

499 क्रमांक..........................

स्टाम्प विक्रय की तिथि..6-12-17

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..इकरारनामा डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता...आशीष त्रिपाठी पुत्र स्व० सत्य प्रकाश त्रिपाठी निवासी [illegible] गाँव [illegible]

स्टाम्प की धनराशि....[illegible]

[illegible] ग्राम २१

लाईसेन्स नं० 112 (स्टाम्प विक्रेता)

लाईसेन्स की अवधि....017

म० सकलडीहा-चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) BN 499599

(क) -विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(ख) - विद्यालय के प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सद होगा ।

(ग) - विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित ज जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश मा शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(घ) - संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की ति से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

आशीष विद्यार्थी

Scanned with C

क्रमांक........470
स्टाम्प विक्रय की तिथि........6-10-17
... का प्रयोजन........
... का नाम व पता........
की धनराशि........
स्टाम्प-व्यापारी
लाईसेन्स नं० ११३ (स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स की अवधि........
म० सकलडीहा-चन्दौली

न्यास पत्र

प्रतिफल -	0	स्टाम्प शुल्क-	700	बाजारी मूल्य -	0
पंजीकरण शुल्क -	500	प्रतिलिपिकरण शुल्क -	40	योग :	540

श्री आशीष विद्यार्थी आशीष विद्यार्थी

पुत्र श्री स्व0 सत्यप्रकाश विद्यार्थी

व्यवसाय : कृषि

निवासी: डेढवलिया (शहीदगांव)पो0 शहीदगांव पर0 महाईच त0 सकलडीहा जिला चन्दौली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 07/12/2017 एवं 03:33:32 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी0 पी0 सिंह उप निबंधक सकलडीहा
उप निबंधक : सकलडीहा
चंदौली

Scanned with C

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 499600

(ङ.) - संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहाय प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(च) - कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशा कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(छ) - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(ज) - विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा । यदि ह तो कृपया प्रबन्धाधिकरण को इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्याल को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध एक क्रम से 8 तक स्वीकार हैं ।

"ज" के पश्चात पूर्ववर्ती लीज डीड को यथावत पढ़ा जाय ।

आशीष त्रिपाठी

क्र.सं....431....
स्टाम्प विक्रय की तिथि....6-12-17
... का प्रयोजन....
... का नाम व पता....
... की धनराशि.......
हस्ताक्षर ...
लाईसेन्स नं० ११३ (स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स की अवधि....
त० सकलडीहा-चन्दौली

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी:1

श्री आशीष विद्यार्थी आशीष विद्यार्थी

पुत्र श्री स्व0 सत्यप्रकाश विद्यार्थी

व्यवसाय : कृषि

निवासी : डेढवलिया (शहीदगांव)पो0 शहीदगांव पर0 महाईच त0 सकलडीहा जिला चन्दौली

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनोज कुमार सिंह मनोज कुमार सिंह

पुत्र श्री रमाशंकर सिंह

व्यवसाय : कृषि

निवासी : चकरिया पो0 केशवपुर पर0 बढवल त0 सकलडीहा जिला चन्दौली

पहचानकर्ता : 2

श्री रविकान्त पाण्डेय रविकान्त पाण्डेय

पुत्र श्री मुन्ना पाण्डेय

व्यवसाय : कृषि

निवासी : ईटवां पो0 सकलडीहा पर0 बढवल त0 सकलडीहा जिला चन्दौली

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :कालम 9 लागू नहीं है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0 पी0 सिंह उप निबन्धक

उप निबंधक : सकलडीहा

चंदौली

Scanned with C

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BN 499601

अस्तु यह चन्द कलमा मन बुद्धि, इन्द्रीय को स्वस्था दशा में इस पूरव ट्रस्ट डीड पर समक्ष गवाहान पढ़ व सुन समझ कर बिना किसी जोर दबाव के इस पर अपना हस्ताक्षर बना दिया कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे ।

गवाह, सं0 1- मनोज कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह ग्रा0 चकरियाँ पो0 बड़ौरा त0 सकलडीहा चन्दौली

रविकान्त पाण्डेय S/o श्री मुन्ना पाण्डेय ग्रा0 इटवा पो0 बड़ौरा त0 सकलडीहा चन्दौली

गवाह सं0 2-

आशीष विद्यार्थी

क्रमांक.......457.........
स्टाम्प विक्रय की तिथि...6-12-17
स्टाम्प ... के प्रयोजन...प्रस्तुत ट्रस्ट डीड
... दाता का नाम व पता...
... की धनराशि...
दयाराम दया राम
लाईसेन्स नं० ११३ (स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स की अवधि.....
मु० सकलडीहा-चन्दौली

Scanned with C

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

BN 4996[illegible]

मसविदा कर्ता :- Vijay P. Singh [illegible]

टाइप कर्ता :-(राजेन्द्र प्रसाद) [illegible]

तारीख तहरीर 7-12-2017 ई0

[illegible]
Manager
SATYAM CHILDREN ACADE[MY]
Shahid Gaon-Chandau[li]

आशीष विद्यार्थी

SATYAM CHILDREN ACADEMY
PRINCIPAL
CHANDAULI

Scanned with C

क्रमांक.......472.......
स्टाम्प विक्रय की तिथि....4/12-17
... का प्रयोजन..पूरक डीड
क्रेता का नाम व पता....उपभोक्ता
की धनराशि.....5...
दयाराम दयाराम
लाईसेन्स नं० ११३ (स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स की अवधि....
म० सकलडीहा-चन्दौली

आज दिनाँक 07/12/2017 को बही संख्या 4

एवं जिल्द संख्या 16 पृष्ठ संख्या 23 से

32 पर क्रमांक 33 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0 पी0 सिंह उप निबन्धक सकलडीहा

उप निबंधक : सकलडीहा

चंदौली

Scanned with C